राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 1348, 1349, 1350, 1351, 1352 व 1353/2015 जिला.....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स पी.एस.एल. लिमिटेड, ठाकुरों की ढाणी, शाहपुरा जयपुर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी, तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–तृतीय, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री मदन लाल, सदस्य** **श्री मनोहर पुरी, सदस्य**	
08/09/2015	अपीलार्थी द्वारा ये छः अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के स्थगन आदेश संख्या क्रमशः 101, 102, 103, 104, 105 व 106/अपील्स–तृतीय/स्थगन/2015–16 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 38(4) के तहत पारित किये गये पृथक–पृथक आदेश दिनांक 26.08.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। सभी प्रकरणों में पक्षकार एवं विवाद्य बिन्दु समान होने से सभी अपीलों का निस्तारण एक ही संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है। प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का दिनांक 16.12.2014 को सर्वेक्षण किये जाने पर पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा लोहे के पाईप बनाकर संविदा के तहत F.O.R. Basis पर विक्रय किये जाते हैं, जिसमें क्रेता व्यवहारी से फ्रेट चार्जेज वसूल किया जाता है, किन्तु फ्रेट राशि पर कर वसूल कर राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी की आलौच्य अवधियों के पृथक–पृथक कर निर्धारण आदेश केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 9 सपठित वेट अधिनियम की धारा 26, 55 व 61 के तहत दिनांक 23.06.2015 को पारित करते हुए फ्रेट राशि को कर योग्य मानते हुए 5 प्रतिशत की दर से कर, तदनुसार ब्याज व करापवंचन मानते हुए धारा 61 के तहत शास्ति का आरोपण किया गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं, साथ ही वेट अधिनियम की धारा 38(4) के तहत स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि के स्थगन बाबत निवेदन किया गया। अपीलीय अधिकारी के पृथक–पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 26.08.2015 से अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र अस्वीकार किये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरणों में बकाया मांग राशि की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। प्रकरणों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :– लगातार.....2	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या–(1–6) 1348, 1349, 1350, 1351, 1352 व 1353/2015 जिला.....जयपुर.....

उनवान : मैसर्स पी.एस.एल. लिमिटेड, ठाकुरों की ढाणी, शाहपुरा जयपुर बनाम (1) अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (2) सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत–तृतीय, जयपु

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

08/09/2015

अपील संख्या	अवधि	आरोपित				चाहा गया स्थगन
		कर	ब्याज	शास्ति	योग	
1	2	3	4	5	6	7
1348/15	2009–10 CST	13,07,424	9,80,568	26,14,848	49,02,840	47,71,498
1349/15	2010–11 RST	49,517	31,196	99,034	1,79,101	1,74,849
1350/15	2010–11 CST	73,83,341	46,51,505	1,47,66,682	2,68,01,528	2,60,63,194
1351/15	2011–12 CST	23,14,035	11,80,158	46,28,070	81,22,263	78,90,859
1352/15	2012–13 CST	7,98,885	3,11,565	15,97,770	27,08,220	26,28,331
1353/15	2013–14 CST	1,06,667	22,400	2,13,334	3,42,401	3,31,734

अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री विवेक सिंघल तथा प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक श्री एन. के. बैद की बहस सुनी गयी।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों, अपील व स्थगन आधारों पर विचार करने के उपरान्त, **प्रकरणों के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र स्वीकार करते हुए सभी प्रकरणों में वसूली योग्य मांग राशि **(उपरोक्त तालिका के कॉलम संख्या 7 अनुसार)** की वसूली पर इस शर्त पर रोक स्वीकार की जाती है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अपीलीय अधिकारी को भी निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश प्राप्ति के 3 माह की अवधि में उनके समक्ष लम्बित अपीलों का गुणावगुण के आधार पर निष्पादन करें।

उपरोक्तानुसार अपीलों का निस्तारण किया जाता है।

निर्णय सुनाया गया।

08.09.2015

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड,
अजमेर

8.9.2015

सदस्य
राजस्थान कर बोर्ड
अजमेर